20.11.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.12.19 को पेश हो।
11/12/19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/12/19 को पेश हो।
30/12/19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते बहस 15/1/20 को पेश हो।
15.1.2020	पत्रावली पेश हुयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली लम्बे समय से बहस में चल रही है वकील फरीकेन बहस अनुपस्थित है वकील फरीकेन पत्रावली में लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है पत्रावली का लम्बे समय से बहस में चलने के कारण पत्रावली का गुण-अवगुण पर अवलोकन किया गया, पत्रावली में वादी ने अपने दावे में राजस्व ग्राम रावीसर मु.नं. 5/23 के रकबा 14 बीघा जमीन पर खातेदारी अधिकार की घोषणा तथा प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु वादपत्र में वर्णित किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब में लिखा है कि उक्त मुरब्बा नं. 5/23 के जो कि दावे में वर्णित किये है वो हमने कोडा/खैरा से क्रय की गई भूमि है जिसका नामान्तरकरण संख्या 45 द्वारा मेरी माता श्री मोबा देवी द्वारा क्रय शुदा है। प्रतिवादी ने ... किया कि वादी का पाबन्द किया जावे कि हमारे कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा न करे जिसका वादी द्वारा जवाब किया गया जो कि शामिल मिसल है उसके उपरान्त तनकीयात कायम की गई है

आया वादी ने वादपत्र में वर्णित भूमि चक 6PB के मु.नं. 23 के किला नं. 2 ता 4, 7 ता 9 व 14, 17 ता 20 14 बीघा 1 को खातेदार घोषित करने का हकदार है। पत्रावली में वादी द्वारा वादपत्र के साथ, संलग्न दस्तावेज एवं प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावे का अवलोकन किया, अन्य कोई साक्ष्य वादी पेश नहीं किये गये। अतः उक्त तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है। वादी इसे अपने पक्ष में तय करवाने में असफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी पूगल, जिला

2- आया वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से सिद्ध नहीं होता है कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

3 आया वादी, प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादपत्र में वर्णित दस्तावेज के आधार पर वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विरुद्ध तय की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध वादपत्र, संलग्न दस्तावेज, तथा प्रतिवादी

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म की जा
	द्वारा पेश जवाबदावा का अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा कि वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो तथा पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है। (हस्ताक्षर) 15/01/[illegible] SDO, उपखण्ड अधि पूगल, जिला—बीका	